

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01/09/2026

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित पी० एम० श्री योजना (60:40) के तहत प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक पी० एम० श्री सरकारी विद्यालयों के संचालन हेतु कैबिनेट से स्वीकृत कुल राशि ₹40,00,00,000/- (चालीस करोड़) रुपये मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार से स्वीकृत Mother Sanction के रूप में केन्द्रांश मद में प्राप्त प्रथम किस्त की राशि ₹1,26,06,000/- (एक करोड़ छब्बीस लाख छः हजार) रुपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹84,04,000/- (चौरासी लाख चार हजार) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹2,10,10,000/- (दो करोड़ दस लाख दस हजार) रुपये मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित पी० एम० श्री योजना (60:40) के तहत प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक पी० एम० श्री सरकारी विद्यालयों के संचालन हेतु कैबिनेट से स्वीकृत कुल राशि ₹40,00,00,000/- (चालीस करोड़) रुपये मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार से स्वीकृत Mother Sanction के रूप में प्राप्त प्रथम किस्त की राशि ₹1,26,06,000/- (एक करोड़ छब्बीस लाख छः हजार) रुपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹84,04,000/- (चौरासी लाख चार हजार) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹2,10,10,000/- (दो करोड़ दस लाख दस हजार) रुपये मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक-Acctts/238/2026-27-3615, दिनांक-01.08.2026 के माध्यम से पी० एम० श्री योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा SNA SPARSH Module माध्यम से स्वीकृत केन्द्रांश मद से ₹1,26,06,000/- (एक करोड़ छब्बीस लाख छः हजार) रुपये मात्र का Mother Sanction एवं समानुपातिक राज्यांश मद से ₹84,04,000/- (चौरासी लाख चार हजार) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹2,10,10,000/- (दो करोड़ दस लाख दस हजार) रुपये मात्र की व्यय हेतु CFMS के Web-Portal पर आवंटन (Virtual Sanction) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. अंकनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-353, दिनांक-12.02.2026 में माध्यम से केन्द्र प्रायोजित पी० एम० श्री योजना (60:40) के अन्तर्गत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों हेतु कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कुल राशि ₹40,00,00,000/- (चालीस करोड़) रुपये मात्र विरुद्ध केन्द्रांश मद में प्राप्त ₹24,00,00,000/- (चौबीस करोड़) रुपये मात्र का Mother Sanction तथा राज्यांश की राशि ₹16,00,00,000/- (सोलह करोड़) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹40,00,00,000 (चालीस करोड़) रुपये मात्र राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया गया था, परन्तु CFMS के माध्यम से SNA SPARSH Module के अंतर्गत तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण विपत्र तैयार नहीं हो सका, जिस कारण उक्त राशि की निकासी नहीं हो सकी। उक्त से संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या-353, दिनांक-12.02.2026 को विलोपित किया जाता है।

4. केन्द्र प्रायोजित पी०एम० श्री योजना अन्तर्गत राज्य के चयनित कुल 47 पी०एम०श्री प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के अनुरूप विकसित करना, कक्षा 01वीं-08वीं के विद्यार्थियों में आधुनिक शिक्षण, कौशल, नवाचार, तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा दिया जायेगा।

5. इस योजना के तहत उक्त विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी, जिसके तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान किया जायेगा। साथ ही उक्त विद्यालयों के शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान कर बेहतर शिक्षण-प्रणाली विकसित कर सकेंगे।

6. पी०एम० श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 47 पी०एम०श्री प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों के संचालन पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय का वहन केन्द्र एवं राज्य योजना निधि से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद अंतर्गत 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के माध्यम से किया जाएगा।

7. इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं NEP-2020 के अनुरूप कार्य निष्पादित करना होगा। चयनित विद्यालयों में अवसंरचना का विकास और प्रशिक्षण से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ निर्धारित शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास, लैब, पुस्तकालय तथा ग्रीन-स्कूल सुविधाओं की अनिवार्य उपलब्धता विभाग के दिशा-निर्देशों में शामिल होंगे। उक्त विद्यालयों में प्रगति की नियमित समीक्षा शिक्षा विभाग तथा केंद्र सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर की जाएगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों की पूर्ति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना चयनित एजेंसियों की प्रमुख जिम्मेवारी होगी।

8. पी० एम० श्री योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत केन्द्रांश की राशि ₹1,26,06,000/- (एक करोड़ छब्बीस लाख छः हजार) रुपये मात्र तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹84,04,000/- (चौरासी लाख चार हजार) रुपये मात्र अर्थात् कुल ₹2,10,10,000/- (दो करोड़ दस लाख दस हजार) रुपये मात्र राशि का विकलन पी० एम० श्री योजना अन्तर्गत उपबंधित राशि से निम्नरूपेण किया जाएगा।

क्र०सं०	विपन्न कोड	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (रूपया में)	प्रथम किस्त अंतर्गत विमुक्त की जा रही केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि (रूपया में)
01	21-2202011010201 (General Component)	31.05 (Capital Head)	₹1,92,00,000 / -	₹91,58,333 / -
		31.06 (General Head)	₹46,08,00,000 / -	₹74,78,333 / -
02	21-2202017890213 (SC Component)	31.05 (Capital Head)	₹2,95,87,000 / -	₹21,85,000 / -
		31.06 (General Head)	₹2,41,65,000 / -	₹17,85,000 / -
03	21-2202017960215 (ST Component)	31.05 (Capital Head)	₹30,21,000 / -	₹2,21,667 / -
		31.06 (General Head)	₹24,68,000 / -	₹1,81,667 / -
Total Amount			₹53,92,41,000/-	₹2,10,10,000 / -

वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त योजनान्तर्गत संगत मद के विषय शीर्ष में कुल ₹53,92,41,000/- (तिरेपन करोड़ बानवे लाख इकतालीस हजार) रुपये मात्र राशि का उद्व्यय/उपबंध प्राप्त है। उक्त उपबंधित राशि के अंतर्गत ही अधियाचित राशि की व्यय की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रांश मद में कुल 5,92,41,000/- (पाँच करोड़ बानवे लाख इकतालीस हजार) रुपये मात्र का अतिरिक्त उद्व्यय एवं उपबंध किया गया है।

9. उक्त स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। विमुक्त की जाने वाली राशि की निकासी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 3825 दिनांक 18.08.2026 के आलोक में उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा SNA SPARSH Module के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। इस संबंध में सभी वित्तीय लेन-देन एवं भुगतान प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए संपादित की जाएगी, ताकि राशि का उपयोग पारदर्शिता एवं नियमानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त स्वीकृत राशि उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा SNA SPARSH Module के तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना को CFMS के Web-Portal पर आवंटन के साथ-साथ Drawing Limit प्रदान करेंगे। यह कार्य CFMS/PFMS के माध्यम से स्थापित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

10. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शिक्षा विभाग के माध्यम से महालेखाकार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना की होगी।

11. राशि की निकासी एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत निदेशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।

12. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य परियोजना परिषद्, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जायेगा।

13. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का विचलन किसी भी अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

14. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका 05 (क) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

15. वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक 05-10-2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

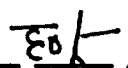
16. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में विभागीय आदेश एवं समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि में निहित निदेशों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

17. उक्त योजना एवं राशि की स्वीकृति दिनांक-29.01.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्राप्त है।

18. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग की सहमति संचिका संख्या-08/PM Shri 26-01/2026(अंश) के पृष्ठ-35-36/टि0 एवं दिनांक-28.08.2026 को प्राप्त है।

19. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-08/PM Shri 26-01/2026(अंश) के पृष्ठ-33/टि0 एवं दिनांक-23.08.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापाक: 08 / PM Shri 26-01 / 2026(अंश)..... /

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापाक: 08 / PM Shri 26-01 / 2026(अंश)..... /

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ संबंधित अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग /उप निदेशक, योजना कोषांग, शिक्षा विभाग/बजट पदाधिकारी, बजट शाखा, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा एवं आई०टी० मैनेजर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापाक: 08 / PM Shri 26-01 / 2026(अंश).....104/

पटना, दिनांक 01/09/2026

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग

१